


23.4.23

उत्तम पक्ष उत्पन्न प्रथम पक्ष के  
विषय अधिवक्त्रा के द्वारा  
बनाया गया कि वर्तमान  
में इस बाद से सम्बन्धित  
कोई दस्तावेज नहीं है। साथ  
ही निरिक्त अभिकथन भी  
प्रतिरिक्त नहीं किया गया  
है। मौखिक रूप से अपना  
पक्ष रखा गया।

पुनरागत बाद प्रथम पक्ष  
के आवेदन के आलोक में  
घाना प्रभारी, बगोदर के  
प्रतिवेदन के आधार पर  
कार्रवाई किया गया। लकड़ी

दिश के क्र. सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>जमीन प्रथम पक्ष के पूर्वज मुला मिथा को विक्रय पत्र के माध्यम से वर्ष 1959 में हासिल हुआ है लेकिन उसकी रसीद हुसन आरा पति साबीर कुंरेशी (क) नवाजीश नाम पति इसरत कुंरेशी एवं अफशाना खानुम पति कुंरेशी के नाम से कर रही है जो गलत है। <del>क</del> डिलीय पक्ष उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करना चाह रहे हैं जो उचित नहीं है। प्रथम पक्ष के द्वारा वर्ष 1959 में निष्पारित विक्रय- पत्र की <sup>प्रति</sup> <del>प्रति</del> दारिखत किया जाया है।</p> <p>डिलीय पक्ष के द्वारा विलुप्त कारण पृच्छा दारिखत किया गया। नकरारी जमीन डिलीय पक्ष को स्वतंत्रिकी इयत जंगल प्रसाद के वंशज शाम प्रसाद भगत से वर्ष 2018 में निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से हासिल है। उक्त के पश्चात् डिलीय पक्ष के नाम से नामांतरण होकर अज्ञात अज्ञान रसीद निर्गत होना रहा है। डिलीय पक्ष का आगे कहना है कि प्रथम पक्ष के द्वारा दारिखत विक्रय पत्र की प्रतिनिधि लेखन किया जाया है। केला के नाम में <del>कर</del> <del>का</del> किया गया है। इसके समर्थन</p>	

दिनांक की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>में द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के द्वारा दारिकल विक्रय-पत्र का प्रमाणांक प्रति (Certified copy) की छाया प्रति दारिकल किया गया है।</p> <p>उभय पक्ष के दस्तावेज एवं दलील से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचना हूँ कि जिस विक्रय पत्र के आधार पर प्रथम पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है वह संदेहास्पद है तथा सिद्ध लेखन का संकेत देता है। साथ ही पूर्व में अंचल कार्यालय द्वारा द्वितीय पक्ष के हित में नामांतरण की कार्यवाही की गई है। अतः नियमन को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष तथा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त घोषित करना हूँ।</p> <p>उक्त आदेश द. उ. सं. की धारा 144(4) के अंतर्गत परिचालित होगा। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">             S.D.M.         </p>	